न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 392/2018

1. सांगसिंह पुत्र जसवन्तसिंह राजपूत
2. गजरकंवर पत्नी जसवन्तसिंह राजपूत
3. प्रकाशकंवर पत्नी शेरसिंह राजपूत
4. लोकेन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार जोधपुर
जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 08 फरवरी 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 211/2017 अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम सांगसिंह आदि

उपस्थित–
श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 12 अगस्त 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2017 अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम सांगसिंह आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 फरवरी 2018 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 31 अगस्त 2018 को पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 व 136 के तहत एक प्रार्थनापत्र समस्याओं के निराकरण अभियान–2016 के दौरान मौके पर चल रहे रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आराजी खसरा संख्या 265 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा वाके मौजा इन्द्रोका के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 फरवरी 2018 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। दिनांक 24 नवम्बर 2016 को राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर पटवारी हळका द्वारा मौका फर्द तैयार कर तहसीलदार जोधपुर को प्रस्तुत की गयी, तहसीलदार जोधपुर ने उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च 2017 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके आधार पर दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को विचारण न्यायालय में प्रकरण संस्थित किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 08 फरवरी 2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी किया जाना अंकित किया गया है, मगर वास्तव में कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया। मौके पर वादग्रस्त आराजी से होकर कोई रास्ता नहीं चलता है, खसरा संख्या 262, 262, 264 में पहले से रास्ता चला आ रहा है। मात्र अपीलाण्ट्स को हैरान व परेशान करने की नीयत से खसरा संख्या 265 में ही रास्ता रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पडौस के खसरा संख्या 266 में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज करने बाबत आवेदन पेश नहीं किया गया है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि रास्ता दिया जाना या कायम किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 व 251–ए की विषयवस्तु है, जबकि विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अन्तर्गत पेश किया गया है। उपखण्ड अधिकारी को खातेदार के आवेदन के बिना भूमि के परिवर्तन का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रकबा कब कर रास्ता घोषित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि संबंधित नियमों एवं परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप तहसीलदार के आवेदन, संबंधित पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी में मौके पर रास्ता चालू है, जिसे राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को प्रकरण संस्थित करते हुए आदेशिका में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09 जनवरी 2018 मुकर्रर की गयी है, मगर उक्त आदेशिका में अप्रार्थीगण–अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने का कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसके बाद दिनांक 09 जनवरी 2018, 25 जनवरी 2018 व 05 फरवरी 2018 की निरन्तर तीनों तारीख पेशीयों की आदेशिकाएँ रबर–स्टाम्प से अंकित की जाकर तारीख–पेशी तब्दील की गयी, इन आदेशिकाओं पर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत कर्मचारी अथवा अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इसके बाद पेशी दिनांक 08 फरवरी 2018 की आदेशिका में सरकारी पैरोकार की उपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज करते हुए आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाना अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण–अपीलाण्ट्स के की तलबी हेतु नोटिस जारी किया जाना अथवा अन्य किसी प्रकार से अपीलाण्ट्स को सूचना होना प्रकट नहीं हेाता है और विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08 फरवरी 2018 में अप्रार्थीगण–अपीलाण्ट्स की तलबी/नोटिस अथवा उपस्थित बाबत कुछ अंकित भी नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश में **"उपस्थित – तहसीलदार जोधपुर एवं अप्रार्थीगण"** व प्रथम पेराग्राफ में "... अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गयाकृ" अंकित किया जाना प्रकरण की वस्तुस्थिति से भिन्न एवं आधारहीन पाया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह स्वतसिद्ध है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अप्रार्थीगण–अपीलाण्ट्स को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निर्धारित विधिक प्रकिया तथा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया जाने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08 फरवरी 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया की पालना करते हुए उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर